



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, मंगलवार, 30 दिसम्बर, 2025

पौष 9, 1947 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 2913/वि०स०/संसदीय/83(सं)/2025

लखनऊ, 22 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक 22 सितम्बर, सन् 2025 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 2
सन् 1959 की
धारा 305 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 305 की उपधारा (1) में शब्द “प्रत्येक ऐसे अनुज्ञा या नवीकरण के दिनांक से दो वर्ष” के स्थान पर शब्द “ऐसे अनुज्ञा या नवीकरण के दिनांक से पन्द्रह वर्ष से अधिक न हो, जैसा कि नियमावली द्वारा विहित किया जाय” रख दिये जायेंगे।

निरसन और
व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2025 उत्तर प्रदेश
एतद्वारा निरसित किया जाता है। अध्यादेश संख्या 11
सन् 2025

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में नगर निगमों की स्थापना और प्रबंधन हेतु उनकी प्रशासनिक संरचनाओं, शक्तियों और कृत्यों को परिभाषित करते हुए उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन 1959) अधिनियमित किया गया है।

सूचना, संचार और डिजिटलीकरण के आधुनिक युग में, विज्ञापन स्थलों पर प्रयुक्त संरचनाओं/उपस्करों, यथा—डिजिटल डिस्प्ले, बिलबोर्ड, विज्ञापन पट्ट (होर्डिंग), कियोस्क आदि की लागत उल्लेखनीय रूप से अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक वित्तीय व्यय होता है। विज्ञापन के लिए नगर निगमों से अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, अभिकरणों को ऐसी संरचनाओं में प्रचुर मात्रा में धनराशि का विनिधान करना पड़ता है। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 305 की उपधारा (1), अनुज्ञा या उसके नवीकरण की अवधि दो वर्ष विनिर्दिष्ट करती है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि विज्ञापनकर्ता अभिकरणों को, अनुज्ञा के अवसान के पश्चात् अर्थात् दो वर्ष के पश्चात्, अपनी विज्ञापन संरचनाओं को हटाना आवश्यक है।

चूँकि विज्ञापनकर्ता अभिकरण, विज्ञापन संरचनाओं में बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि विनिधान करते हैं, इसलिए उनके लिए दो वर्षों की अवधि के भीतर इस विनिधान की वसूली करना कठिन हो जाता है। परिणामस्वरूप, बड़े और उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञापनकर्ता अभिकरण निविदा प्रक्रिया में भाग लेने में अनिच्छा दिखाते हैं। उपर्युक्त के दृष्टिगत यह अपरिहार्य और आवश्यक है कि पूर्वोक्त धारा के अधीन उल्लिखित अधिकतम अवधि को बढ़ाकर “पन्द्रह वर्ष” किया जाय।

चूँकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 22 सितम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2025) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

ए0 के0 शर्मा
मंत्री,
नगर विकास।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धारा का उद्धरण

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959

305—(1) कोई व्यक्ति, नगर आयुक्त की लिखित अनुबन्ध के बिना, उस प्रकार का कोई आकाश चिन्ह, जो नियमों के अनुसार विहित किया गया हो, चाहे वह नियत दिन को विद्यमान हो या न हो, न खड़ा करेगा, न लगायेगा और न रहने देगा। ऐसी लिखित अनुज्ञा उक्त प्रत्येक अनुज्ञा या नवीकरण के दिनांक से किसी भी अवधि के लिए जो दो वर्ष से अधिक न हो दी या नवीकृत की जायगी, पर इस शर्त के अधीन कि ऐसी अनुज्ञा शून्य समझी जायगी, यदि

(क) नगर आयुक्त के आदेशों के अधीन उस आकाश चिन्ह को सुरक्षित बनाने के प्रयोजन के सिवाय उसमें अन्य कोई परिवर्धन किया जाय;

(ख) आकाश चिन्ह या उसके किसी भाग में कोई परिवर्तन किया जाय;

(ग) आकाश चिन्ह या उसका कोई भाग दुर्घटना से, नष्ट हो जाने से या किसी अन्य कारण से गिर जाय;

(घ) उस भवन, या ढांचे में जिस पर या जिसके ऊपर आकाश चिन्ह खड़ा किया गया हो, लगाया गया हो, या रहने दिया गया हो, कोई परिवर्धन या परिवर्तन किया जाय, जिसमें आकाश चिन्ह या उसके किसी भाग का विस्थान (disturbance) अन्तर्गस्त हो;

(ङ) वह भवन या ढांचा, जिस पर या जिसके ऊपर आकाश चिन्ह खड़ा किया गया हो, लगाया गया हो या रहने दिया गया हो, खाली हो जाय अथवा गिरा दिया जाय या नष्ट हो जाय।

UTTAR PRADESH SARKAR

SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 274/XC-S-1-25-26S-2025

Dated Lucknow, December 30, 2025

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Nagar Nigam (Sanshodhan) Vidheyak, 2025" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 22, 2025:

**THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT)
BILL, 2025**

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force with effect from the 22nd day of September 2025.

Short title,
extent and
commencement

Amendment of
Section 305
of U.P. Act no.2
of 1959

2. In sub-section (1) of Section 305 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, *for* the words "two years from the date of each such permission or renewal", the words "fifteen years from the date of such permission or renewal, as may be prescribed by rules " shall be *substituted*.

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2025 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 11 of 2025

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. 2 of 1959) has been enacted to establish and govern Municipal Corporations in the State of Uttar Pradesh, defining their administrative structures, powers and functions.

In the modern era of information, communication and digitalization, the cost of structures/equipment used at advertising sites such as digital displays, billboards, hoardings, kiosks, *etc.*, is significantly high, resulting in substantial financial expenditure. After obtaining permission from Municipal Corporations for advertising, agencies have to invest large amounts of money in such structures. Sub-section (1) of Section 305 of the aforesaid Act, specifies the duration of permission or its renewal as two years, which clearly implies that advertising agencies are required to remove their advertising structures after the expiry of the permission, that is, after two years.

Since advertising agencies invest a considerable amount of money in advertising structures, it becomes difficult for them to recover this investment within a period of two years. As a result, large and high-quality advertising agencies show reluctance in participating in the tendering process. In view of the above, it is inevitable and necessary that the maximum period mentioned under the aforesaid section be increased to "fifteen years".

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2025 (U.P. Ordinance no. 11 of 2025) was promulgated by the Governor on September 22, 2025.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

A.K. SHARMA
Mantri,
Nagar Vikas.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.